न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / 06 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये गजेन्द्र बाबू शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

\` ......**प्रार्थी**

बनाम

1–श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री हरि सिंह जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.......**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आर्डर 2000

निर्णय **दिनांक 27.11.2019**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट विरुद्व अप्रार्थी पेश किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11–04–2018 को एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग के संबध में नदबई कस्बे के नगर रोड पर माधो सिंह पुत्र खुशीराम जाट की दुकान में जांच की गई। दौराने जांच उक्त दुकान में राजपाल सिंह पुत्र हरि सिंह द्वारा 14.2 किलोग्राम भराव क्षमता के घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों से गैर मानक नॉन आईएसआई पैट्रोमैक्सनुमा छोटे 5 कि.ग्रा. भराव क्षमता के सिलेण्डरों में एवं मोटरों एवं पम्पों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में घरेलू एलपीजी की अवैध रिफलिंग किया जाना पाया गया। उक्त दुकान राजपाल सिंह ने 1500 रूपये प्रतिमाह में माधो सिंह पुत्र खुशीराम से किराये पर ली गई है। मौके पर दौराने निरीक्षण दुकान में 30 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें 12 पूर्णतया खाली, 10 आंशिक रूप से भरे तथा 8 पूर्ण रूप से भरे (एलपीजी 136.16 कि.ग्रा.) , एक गैस स्थानान्तरण का पम्प, दो गैस स्थानान्तरण की मोटरें जिनमें रेगूलेटर, नली तथा विद्युत तार जुडे हुए, पांच पीतल की गैस स्थानान्तरण की निपिल, तीन लोहे के बांसुरीनुमा यंत्र तथा 14 नॉन आईएसआई गैर मानक पैट्रोमैक्सनुमा 5 कि.ग्रा. भराव क्षमता के छोटे सिलेण्डर पाये गये। इनके अतिरिक्त मौके पर 21 घरेलू गैस कनेक्शन की डायरियां जो कि भातरा ग्रामीण गैस वितरक कवई तहसील नदबई के द्वारा उपभोक्ताओं को जारी की गई हैं, भी अवैध रूप से उक्त दुकान में पायी गई। इस संबध में राजपाल सिंह से पूछने पर बताया गया कि वह डायरियों के माध्यम से अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त करता है तथा घरेलू गैस सिलेण्डरों में से एलपीजी गैस का स्थानान्तरण वाहनों तथा छोटे पैट्रोमैक्सनुमा सिलेण्डरों में करता है। अप्रार्थी राजपाल सिंह ना तो किसी गैस कम्पनी का अधिकृत एजेंट है और नाही उसके पास एलपीजी संग्रहण , स्थानान्तरण बाबत कोई दस्तावेज आदि पाया गया

........2

और नाहीं राजपाल सिंह ने उसके पास किसी भी तरह की अनुमति होना बताया है। अप्रार्थी राजपाल सिंह द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण ,प्राप्ति तथा घरेलू गैस का गैरमानक सिलेण्डरों तथा वाहनों में अवैध रूप से स्थानान्तरण किया जाना द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आर्डर 2000 के खण्ड 3,4 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा 30 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा. भराव क्षमता) मय एलपीजी(136.16 कि.ग्रा.), 14 छोटे 5 किलोग्राम भराव क्षमता के गैरमानक पैट्रोमैक्सनुमा गैस सिलेण्डर, 5 निपल एवं 3 बांसुरी, 2 मोटर मय रेगूलेटर व नली तथा 1 छोटा पम्प में रेगूलेटर को राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 (बी) ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। किन्तु बार बार अवसर देने के बाद भी अपना जबाव पेश नहीं किया गया।

दौराने बहस अप्रार्थी के अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई, किंतु उपस्थित नहीं आये। पैरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी को सुना गया।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि दिनांक 11–04–2018 को को एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग के संबध में नदबई कस्बे के नगर रोड पर माधो सिंह पुत्र खुशीराम जाट की दुकान में जांच की गई। दौराने जांच उक्त दुकान में राजपाल सिंह पुत्र हरी सिंह द्वारा 14.2 किलोग्राम भराव क्षमता के घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों से गैर मानक नॉन आईएसआई पैट्रोमैक्सनुमा छोटे 5 कि.ग्रा. भराव क्षमता के सिलेण्डरों में अवैध रूप से एलपीजी गैस को स्थानान्तरण किया जाना एवं गैस स्थानान्तरण की मोटरों एवं पम्पों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में एलपीजी गैस की अवैध रिफलिंग किया जाना पाया गया। मौके पर दौराने निरीक्षण दुकान में 30 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें 12 पूर्णतया खाली, 10 आंशिक रूप से भरे तथा 8 पूर्ण रूप से भरे (एलपीजी 136.16 कि.ग्रा.) , एक गैस स्थानान्तरण का पम्प, दो गैस स्थानान्तरण की मोटरें जिनमें रेगूलेटर, नली तथा विद्युत तार जुडे हुए, पांच पीतल की गैस स्थानान्तरण की निपिल, तीन लोहे के बांसुरीनुमा यंत्र तथा 14 नॉन आईएसआई गैर मानक पैट्रोमैक्सनुमा 5 कि.ग्रा. भराव क्षमता के छोटे सिलेण्डर मिले जो मौके पर जप्त किये गये। अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का अधिनियम) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4, एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर उक्त जप्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

.......3

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार रसद के कथनों पर मनन किया। अप्रार्थी राजपाल द्वारा मौके पर घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों से गैरमानक आईएसआई पैट्रोमैक्सनुमा छोटे 5 किलोग्राम भराव क्षमता के सिलेण्डरों में अवैध रूप से एलपीजी गैस स्थानान्तरण कार्य करना पाया गया। इसके अलावा गैस स्थानान्तरण की मोटरों एवं पम्पों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में एलपीजी गैस की अवैध रिफलिंग किया जाना पाया गया। पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका जॉच रिपोर्ट एवं फर्द जप्ती कार्यवाही से स्पष्ट है कि मौके पर फर्द जप्ती कार्यवाही में अन्य मौतविरान के साथ अप्रार्थी राजपाल के अंगूठा निशानी हस्ताक्षर स्वरूप हो रहे हैं। जिसमें उक्त सामान जप्त किये जाने का भी उल्लेख है। इस से यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी की गई कार्यवाही एवं फर्द जप्ती कार्यवाही से सहमत था मौके पर उसके द्वारा विरोध दर्ज कराने का कोई उल्लेख भी पत्रावली पर नहीं है। मौके पर दौराने निरीक्षण दुकान में 30 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें 12 पूर्णतया खाली, 10 आंशिक रूप से भरे तथा 8 पूर्ण रूप से भरे (एलपीजी 136.16 कि.ग्रा.) , एक गैस स्थानान्तरण का पम्प, दो गैस स्थानान्तरण की मोटरें जिनमें रेगूलेटर, नली तथा विद्युत तार जुडे हुए, पांच पीतल की गैस स्थानान्तरण की निपिल, तीन लोहे के बांसुरीनुमा यंत्र तथा 14 नॉन आईएसआई गैर मानक पैट्रोमैक्सनुमा 5 कि.ग्रा. भराव क्षमता के छोटे सिलेण्डर मिलना यह स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रुप से वाहनों एवं छोटे गैस सिलेण्डरों में गैस स्थानान्तरण कार्य एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रुप से भंडारण में लिप्त है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का अधिनियम) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4, एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके से जप्तशुदा 30 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा. भराव क्षमता) मय एलपीजी(136.16 कि.ग्रा.), 14 छोटे 5 किलोग्राम भराव क्षमता के गैरमानक पैट्रोमैक्सनुमा गैस सिलेण्डर, 5 निपल एवं 3 बांसुरी, 2 मोटर मय रेगूलेटर व नली तथा 1 छोटा पम्प में रेगूलेटर को राजसात (Confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त किये गये 30 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा. भराव क्षमता) मय एलपीजी (136.16 कि.ग्रा.), 14 छोटे 5 किलोग्राम भराव क्षमता के गैरमानक पैट्रोमैक्सनुमा गैस सिलेण्डर, 5 निपल एवं 3 बांसुरी, 2 मोटर मय रेगूलेटर व नली तथा 1 छोटा पम्प में रेगूलेटर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

.......4

के पत्रांक 86(23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राज्य कोष में जमा कराई जावे, तथा अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.जोगाराम)
जिला कलक्टर
भरतपुर